सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय, महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 08/2019 दिनांक 05.07.2019

श्री प्रिंस स्टेंस
किड जोन स्कूल के पास
जगदल्ला चांपा
जिला–जांजगीर चांपा (छ.ग.)
पिन – 495671

अपीलार्थी

O/o CE (EITC)
Receipt No. 3146
Date 08 AUG 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE......
Section ......

विरूद्ध

श्री सुनील कुमार खरे
जन सूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–
(दिनांक 06/08/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री प्रिंस स्टेंस की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो छ0ग0स्टे0पॉ0हो0कं0लिमि0, रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसे प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक 08/2019 दिनांक 05.07.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री प्रिंस स्टेंस का अपील कथन कि उनके द्वारा आवेदन दिनांकित 22.05.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई है–

"संदर्भ पत्र क्रमांक 01–05/पीडी–दो/1139 रायपुर दिनांक 04.12.2017 के तहत निम्नलिखित जानकारी"

(1) उक्त संदर्भित पत्र की प्रति।

(2) संदर्भित पत्र के बिन्दु कमांक 03 में लेख अधिसूचना क्रमांक 1250 दिनांक 09.07.2010 की प्रति।

(3) उस नीति नियमो आदेशों की प्रति जिसके तहत लेख किया गया है कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक रिपोटिंग आफिसर के अधीन 120 दिनों से अधिक की कालावधि तक कार्य किया है तो उसे पृथक पृथक प्रतिवेदन देने की आवश्यकता होती है।

जिसके तारतम्य में सूचना अधिकारी का कोई भी सूचना पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अधिनियम के नियमानुसार धारा 20(1), 20(2), 19(8) एवं 7(6) के तहत् कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(3) उक्त अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –08/2019/17 दिनांक 23.07.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को दिनांक 03.08.2019 को सांय 4.00 बजे व्यक्तिगत रूप से कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री स्टेंस को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। साथ ही दिनांक 24.07.2019 को आवेदक को निर्धारित सुनवाई तिथि के संबंध में दूरभाष के माध्यम से भी अवगत कराया गया। उक्त तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी उपस्थित हुए। तद्पश्चात् गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) निर्धारित तिथि को प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02 टीप में चाही गई जानकारी गोपनीय अधिकारी, होल्डिंग कंपनी रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा पत्र क्रमांक 530 दिनांक 01.06.2019 द्वारा 22 पृष्ठों में जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई। तद्पश्चात कार्यालयीन पत्र क्रमांक 652 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से आवेदक को अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत रूपये 2/–प्रतिपृष्ठ की दर से 22 छायापृष्ठों की जानकारी हेतु कुल रूपये 44/–मात्र का अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान करने बाबत् निर्धारित समयावधि के भीतर सूचित किया गया। किन्तु आवेदक द्वारा आज दिनांक तक निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

किन्तु श्री स्टेंस द्वारा निर्धारित दस्तावेज/अभिलेख शुल्क का भुगतान एवं वांछित जानकारी प्राप्त किये बगैर ही सीधे प्रथम अपील दर्ज की गई है। यद्यपि **आवेदक को नियमानुसार निर्धारित दस्तावेज/अभिलेख शुल्क का भुगतान कर जानकारी प्राप्त करने के पश्चात्, उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होने की स्थिति में ही प्रथम अपील दर्ज किया जाना था, जो उचित होता।**

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सूचना उसी रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिस रूप में सूचना/जानकारी कार्यालयीन अभिलेख/रिकार्ड में उपलब्ध है।

(i) अपील सुनवाई के दौरान संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिससे यह ज्ञातव्य है कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की गई है। अतएव प्रकरण में अपीलार्थी को पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है। वस्तुतः गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(ii) सुनवाई के दौरान प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(iii) अपीलार्थी का प्रमुख अपील तर्क यह है कि उनके द्वारा वांछित जानकारी के संदर्भ में सूचना अधिकारी का कोई भी सूचना पत्र प्राप्त नहीं मिला है। अतः अधिनियम के नियमानुसार धारा 20(1), 20(2), 19(8) एवं 7(6) के तहत् कार्यवाही कर समस्त जानकारी/दस्तावेज उन्हे उपलब्ध करायी जाए।

(iv) कंडिका 05(iii)/टीप के प्रत्युत्तर में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी/दस्तावेज के संबंध में निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 652 दिनांक 20.06.2019 के माध्यम से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर जानकारी प्राप्त करने बाबत् आवेदक को सूचित किया गया।

(v) उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के प्रथम अपील आवेदन के संदर्भ में जनसूचना प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 11.07.2019 को दूरभाष के माध्यम से प्रकरण में अपीलार्थी से चर्चा की गई एवं विषयवस्तु के संदर्भ में उन्हें अवगत कराया गया। जिसके परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 11.07.2019 (इस कार्यालय में दिनांक 16.07.2019 को प्राप्त) को प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया, जिसकी कंडिका 03/टीप में यह उल्लेख किया गया है कि :–

"ज्ञात हो कि अधिनियम के नियमानुसार आपको 30 दिन के बाद जानकारी लेने का अधिकार नहीं है तथा समयावधि के पूर्व या पश्चात् डाक व्यय भी लेने का प्रावधान नहीं है।"

(vi) कंडिका 5 (v)/टीप में उल्लेखित प्रावधान इस कार्यालय के संज्ञान में नहीं है।

(6) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा कंडिका 04 एवं 5 (iv) टीप में जो कार्यवाही की गई है वह विधिसंगत है, एवं जिस पर किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

कंडिका 5 (v)/टीप में अपीलार्थी का यह कथन कि "अधिनियम के नियमानुसार आपको 30 दिन के बाद जानकारी लेने का अधिकार नहीं है तथा समयावधि के पूर्व या पश्चात् डाक व्यय भी लेने का प्रावधान नहीं है।" तत्संबंध में कोई प्रावधान इस कार्यालय के संज्ञान में नहीं है। अतएव अभिलेख/दस्तावेज शुल्क के भुगतान के अभाव में अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध कराया जाना विधिसंगत नहीं है। वस्तुतः प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया जाना परिलक्षित होता है।

स्पष्टतः अपीलार्थी को नियमानुसार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर वांछित जानकारी प्राप्त किया जाना चाहिए। अतएव अपीलार्थी अपनी सुविधानुसार प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित अभिलेख/दस्तावेज शुल्क का भुगतान कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पं.क्रं. 08/2019 दिनांक 05.07.2019) एतद् द्वारा अस्वीकार कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –08/2019/19 रायपुर, दिनांक 06/08/2019

प्रतिलिपिः–

1. जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. गोपनीय अधिकारी, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री प्रिंस स्टेंस, किड जोन स्कूल के पास, जगदल्ला चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), पिन–495671 को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय तल, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर – 492013, (छ.ग.)
दूरभाष – 2574700, फैक्स – 0771-2574157, वेबसाईट : www.cspc.co.in, ईमेल : hr.csphcl@cspc.co.in